न्यायालय अति. जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
RAS

अपील संख्या :– 37/2014

कल्याण पुत्र स्व. नारायण जाति अहीर निवासी परमानपुरा तन महारखुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा
2. मुरली पुत्र स्व. नारायण
3. जगदीश पुत्र स्व. नारायण
4. रामचन्द्र पुत्र स्व. नारायण
5. नन्दलाल पुत्र स्व. नारायण
   जाति अहिर निवासी परमानपुरा तन म्हार खुर्द तहसील शापहुरा जिला जयपुर

प्रत्यार्थीगण्

अपील विरूद्व नामा.सं. 21 दिनांक 17/4/89 ग्राम परमानपुरा पटवार हल्का म्हारखुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक 13.8.2021

अपीलार्थी ने ग्राम परमानपुरा तहसील शाहपुरा के नामा.सं. 21 दिनांक 17/4/89 के विरूद्व जरिये वकील उपस्थित होकर अपील पेश की गयी है। उक्त नामा. से व्यथित होकर निम्न आधारों पर अपील पेश की गयी है जो निम्नप्रकार हैं :–

यह है कि अपीलार्थी के पिता नारायण पुत्र नानगरामके नाम खातेदारी भूमि हाल आराजी ख.नं. 652 रकबा 0.49, 658 रकबा 0.17 है., 662 रकबा 2.12 है. 699 रकबा 0.89 है. 700 रकबा 0.06 है. 764 रकबा 0.73 है. 765 रकबा 0.36, 773 रकबा 3.33, 660 रकबा 0.76, कुल किता 9 रकबा 8.91 है. व 740 रकबा 1.33 है. वाके ग्रम परमानपुरा पटवार क्षेत्र म्हारखुर्द तहसील शाहपुरा जयपुर में स्थित है। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 11/3/89 को हो गयी थी तब रेस्पोडेन्टस आपस में साज कर विरासत का नामा. अकेले अपने नाम खुलवा लिया तथा प्रत्यार्थी व उसकी मां का विरासत से नाम हटाकर नामा.सं. 21 दिनांक 17/4/89 को प्रत्यार्थीगण् के नाम नामा. दर्ज करने के आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया तथा अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया जिससे व्यथित होकर निम्न सुदर्ड आधारों पर न्यायालय हाजा में अपील पेश की हैं :–

1. यह है कि अपीलाधीन आदेश बिना किसी आधार के कानून विरूद्व होने के कारण पृथम दृष्टिया खारिज किये जाने योग्य है।
2. यह है कि अपीलार्थी के पिता स्व. नारायण के अपीलार्थीगण् व उसकी पत्नी श्रीमती धापा उर्फ ज्याना भी वारिस थी, परन्तु उसका नाम वारिस का नामा. में दर्ज नहीं कर

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

कानूनी भूल की है। इसलिए अपीलाधीन नामा. निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण् की मां धापा उर्फ ज्याना का देहान्त हो चुका है।

3. यह है कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकरण के न्याय निर्णय से पूर्व सभी प्रमाणित पक्षकारान् को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए परन्तु अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में सुनवायी का अवसर किसी तरह नहीं दिया ओर अपीलार्थी की बिना जानकारी के प्रत्यार्थी संख्या 2 लगायत 3 से मिलीभगत कर अपीलार्थी की पैतृक आराजी से विरासत के नाम हटा दिया गया। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने के कारण नामा. खारिज किये जाने योग्य है।

4. यह है कि अपीलार्थी मृत्क नारायण पुत्र नानगा का जायन्दा पुत्र व श्रीमती धापा उर्फ ज्याना पत्नी थी जो मृत्क के कानूनी वारिस व उत्तराधिकारी थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक में रखकर विरासत के नामा. में नाम हटा दिये जो विधि सम्मत नहीं है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व नामा. खारिज किये जाने योग्य है।

5. यह है कि अपीलार्थीगण् जब पटवारी हल्का के पास उक्त आराजीयात् के कागजात् निकलवाने गया तो उसने बताया कि आराजीयात् में आपका नाम रिकॉर्ड खातेदारी में नहीं है तथा अपीलार्थी ने उक्त नामा. की नकल दिनांक 14/5/2014 को निकलवायी तो अधिनस्थ न्यायालय की जानकारी हुयी। उसके बाद अपीलार्थी अन्य दस्तावेजात् निकलवाये व दावा प्रस्तुत करने जयपुर अधिवक्ताओं की राय ली तो उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण की अपील मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगी। इसलिए शाहपुरा अधिवक्ताओं से सम्पर्क कर आवश्यक कागजात् निकलवाये जो आज दिनांक तक प्राप्त हुए है। इसलिए बिना किसी देरी के अपीलार्थी की जानकारी में आने पर अन्दर मियाद मान्य न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत है साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र अलगसे प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए अपीलार्थीगण की अपील मंजूर की जाकर अपीलाधीन नामा. खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

6. यह है कि विवादित आराजीयात् पक्षकार मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास करते है जिसे सुननेका क्षेत्राधिकार एवं सुनने का श्रवणाधिकार है।

7. यह है कि अपील निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है तथा अन्दरमियाद प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालयका नामा.सं. 21 दिनांक 17/4/89 को निरस्त अपीलार्थी का नाम नामा. में दर्ज कर पुनः विरासत का नामा. खुलवाने के आदेश फरमावें।

8. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर प्रकरण में दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये । बाद तामील व सूचना होने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री सुरेन्द्र शेखावत एडवोकेट उपस्थित आये।

9. वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया कि अपीलान्ट के पिता की खातेदारी ग्राम परमानपुरा पटवार हल्का म्हारखुर्द तहसील शाहपुरा में स्थित है। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु 11/3/89 को हो गयी थी। प्रत्यार्थीगणों द्वारा आपस में साजकर विरासत का नामा. अकेले अपने नाम खुलवा लिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यार्थीगण एवं उसकी मां का नामा.सं. 21 दिनांक 17/4/89 को दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जबकि अपीलान्ट का नाम उक्त नामा. में दर्ज नहीं किया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकरण में न्याय निर्णय से पूर्व सभी

प्रभावित पक्षकारान् को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए परन्तु अधिनस्थ न्यायालय प्रत्यार्थी संख्या एक द्वारा कोई सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने के कारण नामा. खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी मृत्क नारायण पुत्र नानगा का जायन्दा पुत्र व श्रीमती धापा उर्फ ज्याना धर्मपत्नि थी जो कानूनन वारिस एवं उत्तराधिकारी थी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत के नामा. से नाम हटा दिये गये जो गैर कानूनी निर्णय पारित किया गया है। उक्त नामा. की नकल 14/5/2014 को निकलवायी जब जानकारी हुयी। इस सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेजात् निकलवाये जो आज दिनांक को प्राप्त हुये। अपीलार्थी की जानकारी में आने पर अन्दर मियाद अपील पेश है जिसके लिए अलग से दफा–5 का प्रार्थना–पत्र संलग्न है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामा.सं. 21 दिनांक 17/4/89 को तस्दीक किया है उसे खारिज फरमावें।

10. वकील रेस्पोन्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामा.सं. 21 वाके ग्राम परमानपुरा तहसील कोटपूतली का पटवारी हल्का द्वारा स्व. नारायण पुत्र नानगा के फौत होने पर उनकी विरासत का नामा. भरा गया है। उक्त नामा. में नारायण फौत एवं उनका सजरा में मुरली जगदीश रामचन्द्र नन्दलाल तथा स्त्री सेवली बेवा नारायण अंकन है। भू0अ0निरीक्षक द्वारा भी जामबंदी के अनुसार अंकन सही होने कि रिपोर्ट की उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकन किया गया कि रिपोर्ट पटवारी व जांच गिरदावर अनुसार नारायण की फौतगी पर मुरली जगदीश रामचन्द्र नन्दलाल पुत्र नारायण व सेवलीबेवा नारायण के हक में नामा. दिनांक 17/4/89 को स्वीकार किया है जो विधि सम्मत है। अपीलान्ट को उक्त नामा. की जानकारी शुरू से ही थी। अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्य पेश कर अपील पेश की है। इसलिए अपील अस्वीकार फरमावें।

11. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा ग्राम परमानपुरा तहसील शाहपुरा का नामा.सं. 21 दिनांक 17/4/89 को स्वीकार किया जाना पाया गया। अपीलान्ट का कथन है कि मृत्क नारायण की फौतगी पर उनकी विरासत का नामा. मुरली जगदीश रामचन्द्र नन्दलाल पिता नारायण व सेवली बेवा नारायण कौम अहिर के नाम उक्त नामा. स्वीकार हुआ है, जबकि उक्त नामा. में अपीलान्ट का नाम भी दर्ज होना चाहिए था । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकारान् को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर ही उक्त नामा. बाबत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो उक्त नामा. बाबत पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः उक्त नामा. को अस्वीकार कर अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की बहस का खण्डन करते हुए अभिकथन किया हे कि पटवारी हल्का ने सजरा अनुसार नारायण की फौतगी के उपरान्त उनकी विरासत का नामा. भरा गया है तथा गिरदावर द्वारा जमाबंदी अनुसार एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट नामा.सं. 21 पर अंकन किया है। उसके उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त नामा.सं. 21 दिनांक 17/4/89 को स्वीकार किया है जो विधि सम्मत है। उक्त नामा. वर्ष 1989 को स्वीकार हुआ है। वर्ष 2014 में अपीलान्ट द्वारा उक्त नामा. के विरूद्ध अपील पेश की है जो मियाद बहार है। अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा रेस्पोडन्टस के हक में भरा गया नामा.सं. 21 वाके ग्राम परमानपुरा तहसील

शाहपुरा द्वारा दिनांक 17/4/89 को स्वीकार हुआ है वह विधि सम्मत है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील चलने योग्य नहीं है जो खारिज फरमावें।

चूँकि राजस्व रिकॉर्ड एवं पत्रावली के अवलोकन करने से नामा.सं. 21 वाके ग्राम परमानपुरा तहसील शाहपुरा का अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा दिनांक 17/4/89 को स्वीकार होना पाया गया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा दिनांक 17/4/89 को नामा.सं. 21 स्वीकार होना पाया गया। अधिनस्थ न्यायालय शाहपुरा द्वारा पटवारी हल्का एवं भ0ू अ0निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर मृत्क नारायण पुत्र नानगा की विरासत का नामा. भरा जाकर दिनांक 17/4/89 को स्वीकार किया है। अपीलान्ट द्वारा जो लगभग 25 वर्ष पश्चात् उक्त नामा. की अपील पेश की है तथा अपील विलम्ब से पेश करने बाबत युक्ति–युक्त कारण पेश नहीं किये है। इसलिए अपील मिंयाद बहार पेश की है तथा ना ही अपने समर्थन में किसी प्रकार के साक्ष्य सबूत पेश किये है, जिसके अभाव में अपीलान्ट अपील स्वीकार कराने में असफल रहा है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 21 वाके ग्राम परमानपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्वीकार द्वारा तहसीलदार शाहपुरा दिनांक 17/4/89 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

13. यह निर्णय आदिनांक 13.8.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)